रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 1980/माघ 4, 1901
No. 13] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 1980/MAGHA 4, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1980

अधिसूचना

सा० का० नि० 16(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपज उपकर अधिनियम, 1966 (1966 का 15) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचनाओं में सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	(क) सा० का० नि० 884, तारीख 26 मार्च, 1969 (ख) सा० का० नि० 1154, तारीख 30 जुलाई, 1970	उक्त अधिसूचनाओं की सारणियों में 'कोपरा' शब्द जहां कहीं प्रयुक्त हुआ है, उसका लोप किया जाएगा।

1	2	3
	(ग) सा० का० नि० 1460, तारीख 4 अक्तूबर, 1971 (घ) सा० का० नि० 347(अ) तारीख 19 मई, 1976	
2.	सा० का० नि० 888, तारीख 28 मार्च, 1969	(क) नियम 3 में, "प्रपत्र 'ख'" शब्द और अक्षर का लोप किया जाएगा। (ख) उक्त अधिसूचना में से प्रपत्र ग का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1979 से प्रवृत्त होगी, जिस तारीख से कोपरा उपकर अधिनियम, 1979 (1979 का 4) प्रवृत्त हुआ है।

[सं० 20-7/79-सी० ए०-III]

डी० पी० शर्मा, अवर सचिव,

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 23rd January, 1980

NOTIFICATION

G. S. R. 16(E)— In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Produce Cess Act, 1966 (No. 15 of 1966), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notifications of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture), in the manner specified in the Corresponding entry in column 3 of the Table :—

TABLE

S.No.	Notification No. and date	Amendment
1	2	3
1.	(a) G. S. R. 884, dated the 26th March, 1969. (b) G. S. R. 1154, dated the 30th July, 1970. (c) G. S. R. 1460, dated the 4th October, 1971. (d) G. S. R. 347(E), dated the 19th May, 1976.	In the Tables to the said notifications, the word "Copra", wherever it occurs, shall be omitted.
2.	G. S. R. 888, dated the 28th March, 1969.	(a) In rule 3, the word and letter "Form 'B' ", shall be omitted. (b) Form B to the said notification shall be omited.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1979, the date on which the Copra Cess Act, 1979 (No. 4 of 1979), came into force.

[No. F. 20-7/79-CA III]

D. P. SHARMA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980